

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY  
DATED THE 10<sup>TH</sup> JUNE, 2022**

**हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना**

दिनांक 10 जून 2022

**संख्या 25/आ०-1/पं०अ० 1/1914/धा० 18, 34 तथा 59/2022.**— हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 18, 34 तथा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 09/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 9/2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रतिनिर्देश से, मैं, शेखर विद्यार्थी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा, पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र नियम, 1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:—

- (1) ये नियम पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र (हरियाणा संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।  
(2) ये नियम जून, 2022 के बाहरवें दिन से लागू होंगे।
- पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र नियम, 1932 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (क) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि अनुज्ञापिधारी निम्नलिखित दरों पर मदिरा के क्रय के लिए परमिट फीस का भुगतान करेगा:—

क्रम संख्या	मदिरा की किस्म	दरें
1	2	3
1.	देसी मदिरा (50 डिग्री प्रूफ)	₹9/-प्रति प्रूफ लीटर
2.	मेट्रो मदिरा (65 डिग्री प्रूफ)	₹9/-प्रति प्रूफ लीटर
3.	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट	
	3.1 ₹1051 से ₹1250 प्रति पेटी एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹13/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.2 ₹1251 से ₹1500 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹13/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.3 ₹1501 से ₹2500 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹13/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.4 ₹2501 से ₹3500 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹13/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.5 ₹3501 से ₹5000 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹13/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.6 ₹5001 से ₹7000 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹13/-प्रति प्रूफ लीटर
	3.7 ₹7001 से उपर प्रति पेटी एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्राण्ड	₹13/-प्रति प्रूफ लीटर
4.	बीयर	
	i) सुपर माइल्ड बीयर, जिसमें 3.5 प्रतिशत तक अल्कोहल की मात्रा हो	₹12/-प्रति बल्क लीटर
	ii) माइल्ड बीयर, जिसमें 3.5 प्रतिशत से उपर तथा 5.5 प्रतिशत तक अल्कोहल की मात्रा हो	₹12/-प्रति बल्क लीटर
	iii) स्ट्रान्ग बीयर, जिसमें 5.5 प्रतिशत से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा हो	₹12/-प्रति बल्क लीटर
	iv) डिब्बाबन्द बीयर:	₹12/-प्रति बल्क लीटर
	(क) सुपर माइल्ड	₹12/- प्रति बल्क लीटर
	(ख) माइल्ड	₹12/- प्रति बल्क लीटर
	(ग) स्ट्रान्ग	₹12/-प्रति बल्क लीटर

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY  
DATED THE 10<sup>TH</sup> JUNE, 2022**

5.	ड्राट बीयर	₹10/-प्रति बल्क लीटर
6.	साइडर	₹1/-प्रति बल्क लीटर
7.	वाईन	₹2/-प्रति बल्क लीटर
8.	पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)	₹5/-प्रति बल्क लीटर
9.	देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए पोटेबल रेक्टिफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	शून्य
10.	आटोमोबाईल ईंधन में उपयोग हेतु के सिवाय विकृत स्पिरिट/एथॉनल	शून्य
11.	औद्योगिक उपयोग के लिए रेक्टिफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	शून्य
12.	आटोमोबाईल ईंधन में प्रयोग के लिए एथॉनल	शून्य।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 22क में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1) 750 मिलीलीटर की क्षमता की आयातित विदेशी मदिरा की चौबीस बोतलों से अधिक के क्रय, परिवहन तथा कब्जे के लिए प्ररूप एल-50 में पारपत्र प्रति वर्ष के लिए ₹2500/-तथा आजीवन के लिए ₹20,000/-की अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान पर प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता की भारत में बनी विदेशी स्पिरिट की चौबीस बोतलें, प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता की आयातित विदेशी मदिरा की चौबीस बोतलें, प्रत्येक 650 मिली लीटर की क्षमता की बीयर की चौबीस बोतलें, प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता की रम की बारह बोतलें प्रत्येक 750 मिली लीटर की वाईन की चौबीस बोतलें, प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता की वोदका की बारह बोतलें, प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता, जिन की बारह बोतलें तथा प्रत्येक 750 मिलीलीटर की क्षमता की साइडर/आरटीबी0 (पीने के लिए तैयार पेय) की चौबीस बोतलें की सीमा तक सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा भारत में बनी विदेशी मदिरा के वास्तविक उपभोक्ता को आवेदन करने पर दिया जा सकता है।”।

शेखर विद्यार्थी,  
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,  
हरियाणा।

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY  
DATED THE 10<sup>TH</sup> JUNE, 2022**

**HARYANA GOVERNMENT  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT  
Notification**

The 10<sup>th</sup> June, 2022

**No.25/X-I/ P.A. 1/1914/Ss. 18, 34 and 59/2022.**— In exercise of the powers conferred under sections 18, 34 and 59 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.09/X-I/P.A.1/1914/S.9/2020, dated the 28<sup>th</sup> January, 2020, I, Shekhar Vidyarathi, Excise Commissioner, Haryana, hereby make the following rules further to amend the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932, in their application to the State of Haryana, namely :-

1. (1) These rules may be called the Punjab Liquor Permit and Pass (Haryana Amendment) Rules, 2022.  
(2) They shall come into force with effect from the 12<sup>th</sup> day of June, 2022.
2. In the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932 (hereinafter called the said rules), in rule 2, in clause (a), for the existing second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-  
“Provided further that the licensee shall pay permit fee for the purchase of liquor on the following rates: -

Serial number	Type of Liquor	Rates
1	2	3
“1.	Country Liquor (50 degree proof)	₹9 Per Proof Litre
2.	Metro Liquor (65 degree proof)	₹9 Per Proof Litre
3.	Indian Made Foreign Spirit	
	3.1 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹1051 upto 1250 per Case	₹13 Per Proof Litre
	3.2 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹1251 upto 1500 per Case	₹13 Per Proof Litre
	3.3 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹1501 upto 2500 per Case	₹13 Per Proof Litre
	3.4 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹2501 upto 3500 per Case	₹13 Per Proof Litre
	3.5 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹3501 upto 5000 per Case	₹13 Per Proof Litre
	3.6 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹5001 upto 7000 per Case	₹13 Per Proof Litre
	3.7 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹7001 and above per Case	₹13 Per Proof Litre
4.	BEER	
	i) Super Mild Beer containing alcoholic content upto 3.5%	₹12 Per Bulk Litre
	ii) Mild Beer containing alcoholic content above 3.5% and up to 5.5%	₹12 Per Bulk Litre
	iii) Strong Beer containing alcoholic content more than 5.5%	₹12 Per Bulk Litre
	iv) Canned Beer:	
	a. Super Mild	₹12 Per Bulk Litre
	b. Mild	₹12 Per Bulk Litre
	c. Strong	₹12 Per Bulk Litre
5.	Draught Beer	₹10 Per Bulk Litre
6.	Cider	₹1 Per Bulk Litre
7.	Wine	₹2 Per Bulk Litre
8.	Ready to Drink Beverages (RTB)	₹5 Per Bulk Litre
9.	Potable Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor	Nil
10.	Denatured spirit/Ethanol except for use in automobile fuel	Nil
11.	Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for industrial use	Nil
12.	Ethanol for use in automobile Fuel	Nil.”

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY  
DATED THE 10<sup>TH</sup> JUNE, 2022**

3. In the said rules, in rule 22-A, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) A permit in form L-50 for purchase, transport and possession of more than twenty four bottles of Imported Foreign Liquor of the Capacity of 750 milliliters may, on application, be granted to bonafide consumer of Indian Made Foreign Liquor by Deputy Excise & Taxation Commissioner of the district concerned upto limit of twenty four bottles of Indian Made Foreign Spirit each of the capacity of 750 milliliters, twenty four bottles of Imported Foreign Liquor each of the capacity of 750 milliliters, twenty four bottles of beer each of the capacity of 650 milliliters, twelve bottles of Rum each of the capacity of 750 milliliters, twenty four bottles of wine each of the capacity of 750 milliliters, twelve bottles of Vodka each of the capacity of 750 milliliters, twelve bottles of Gin each of the capacity of 750 milliliters and twenty four bottles of Cider/RTB(Ready to Drink Beverages) each of the capacity of 750 milliliters on payment of a license fee at the rate of ₹2500/- per year, or for a life time, on payment of a license fee of ₹20,000/-”.

**SHEKHAR VIDYARTHI,**  
Excise and Taxation Commissioner,  
Haryana.